राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

1.एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 448/2013
नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनाम राजकुमार सिंह व अन्य

2.एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 4545/2012
राजकुमार सिंह बनाम गनेशलाल व अन्य

दिनांक – 28.2.2013

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री एस.आर.जोशी, अधिवक्ता अपीलार्थी अन्तर्गत अपील सं. 448/2013.
श्री संजय सिंघल, अधिवक्ता अपीलार्थी-क्लेमेन्ट राजकुमार सिंह अन्तर्गत अपील संख्या 4545/2012.

अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 448/2013 एवं क्लेमेन्ट राजकुमार सिंह की ओर से उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 4545/2012 मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.8.2012 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा क्लेमेन्ट को 17,68,300/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश दिया गया। चूंकि उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों के अन्तर्गत अधिकरण के एक ही निर्णय को चुनौती दी गयी है, जिससे इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि क्लेमेन्ट राजकुमार सिंह ने अधिकरण के समक्ष क्लेम याचिका इन तथ्यों के साथ पेश की कि

दिनांक 1.3.2007 को प्रार्थी अपने साथी रिछपाल सिंह के साथ करीब 6.00 पी.एम. पर सरकारी मोटरसाईकिल से सम्मन वारंट की तामील कराने हेतु दीगोद जागीर व कंडारी गांव गये थे। वहां से तामील कराकर करीब 8.30 पी.एम. पर वापस पुलिस थाना लौट रहे थे। जैसे ही अमृतखेड़ी के पास पहुंचे कि सामने से कार चालक द्वारा कार को गफलत व लापरवाही एवं तेज गति से चलाकर प्रार्थी की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी, जिससे प्रार्थी गंभीर रुप से घायल हो गया एवं रिछपाल सिंह के भी चोटें आयी। प्रार्थी को 100 प्रतिशत स्थाई अशक्ता कारित हो गयी। उसने दुर्घटना करने वाली कार का नम्बर आर.जे.08-सी-1035 का चालक अप्रार्थी संख्या 2, पंजीबद्व स्वामी अप्रार्थी संख्या 1 होना बताते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के यहां उक्त वाहन को बीमित होना बताकर तीनों अप्रार्थीगण से 19,20,000/- रुपये प्रतिकर के रुप में दिलाने की प्रार्थना की।

क्लेमेन्ट राजकुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका के नोटिस याचिका के विपक्षीगण को जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें क्लेम याचिका के तथ्यों से इन्कार करते हुए याचिका खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विद्वान अधिकरण ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर पांच विवाघक विरचित किये। तत्पश्चात साक्ष्य लेखबद्व किये जाने एवं बहस सुनने के उपरान्त विद्वान मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 7.8.2012 के द्वारा प्रत्यर्थीगण-क्लेमेन्ट्स को 17,68,300/- रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 448/2013 प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है एवं क्लेमेन्ट राजकुमार सिंह की ओर से उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 4545/2012 प्रस्तुत कर क्लेम राशि बढ़ाये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अपील संख्या 448/2013 पर बहस करते हुए अपीलार्थी बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि क्लेमेन्ट पुलिसकर्मी है, जिससे झूंठा अनुसंधान कराकर क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी है। उनका तर्क है कि इस मामले से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन देरी से दर्ज करायी गयी है एवं जिसका कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रुप से विवेचन व विश्लेषण नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अत: अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत अपील संख्या 4545/2012 पर बहस करते हुए क्लेमेन्ट के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह निर्विवादित है कि इस मामले से संबंधित दुर्घटना प्रश्नगत वाहन से घटित हुई है। उन्होनें इस न्यायालय का एन.ए.डब्ल्यु.1 भंवरसिंह एस.एच.ओ. के बयानों की ओर आकर्षित कराया, जिसे स्वयं बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि इस दुर्घटना में आई चोटों से क्लेमेन्ट के दोनों हाथ खराब हो गये। चूंकि प्रार्थी पुलिस विभाग में कार्यरत था और इस दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसकी पदोन्नति आदि रुकने से उसका भविष्य खराब हो गया। उनका कथन है कि इस मामले में डाक्टर के बयान भी लेखबद्व हुए हैं, जिसके द्वारा क्लेमेन्ट का अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है। अत: क्लेमेन्ट को दिलाई गई क्षतिपूर्ति राशि किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कही जा सकती एवं उसे उपयुक्त सीमा तक बढ़ाया जावे।

मैनें विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विद्वान अधिकरण ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रुप से मूल्यांकन करने के उपरान्त अपना निर्णय पारित किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान अधिकरण द्वारा उपयुक्त क्षतिपूर्ति राशि क्लेमेन्ट को दिलाई गई है। मेरे मत में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। मैं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत इस अपील में बल नहीं पाता हूं।

अतः अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 448/2013 एवं क्लेमेन्ट राजकुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित सिविल विविध अपील संख्या 4545/2012 निरस्त की जाती हैं। अपील संख्या 448/2013 के साथ संलग्न स्थगन प्रार्थनापत्र भी निरस्त किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Suresh Kumar Sharma

P.S.